न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 53/2018 **(Rcms no: 2018/00132)**

उनवानी प्रकरण :–

चिम्मन पुत्र बुधू जाति मीणा निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर—— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.8.2018
तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं.12/2018
उनवानी राज0 सरकार बनाम चिम्मन
अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–27.11.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 28.8.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 480 रकवा 0.42 हैक्टयर गैर मुमकिन नाला में से 0.05 हैक्टेयर रकवा पर कब्जा करके 0.04 हैक्टेयर पर कोठरी व 0.01 हैक्टेयर पर मकान बनाकर वर्ष 2018 में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया के बावत अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का बीझोली ने 91 एल आर एक्ट की

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यवाही की जिसमें विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताकर बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना जबाव व साक्ष्य अपीलान्ट लिये पटवारी हल्का के बयान के आधार पर दिनांक 28.8.2018 को अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.9.2018 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई का तथा जबावदेही का कोई समय नहीं दिया। ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया नाही पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया गया। समस्त कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई, जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 501 रकवा 0.23 हैक्टेयर ग्राम चन्द्रावली से लगी है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कोठरी व मकान का निर्माण नहीं किया है। अपीलान्ट काफी वृद्व व्यक्ति है, चलने व फिरने में मजबूर है। अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 28.8.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने 20/– जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है, समस्त कार्यवाही एक दिन में ही सम्पन्न की गई है, जो विधि विरूद्व व खिलाफ कानून है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता । अपीलान्ट

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

ग्रामीण परिवेश का लगभग 85 वर्ष का बृद्व व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानते हैं। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगें इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है। यदि अपीलान्टस का विवादित आराजी पर कब्जा नही था तो उसके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 यथावत रखा जावे ।

अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया । तहसीलदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से होती है।

(नन्नूमल पालड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.8.2018 को उपस्थित हुआ था तथा उसे दिनांक 28.8.2018 तक का समय जबाव, साक्ष्य एवं जिरह करने हेत दिया गया था, किन्तु अपीलान्ट ने कोई जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ना ही पटवारी हल्का से जिरह की।

अपीलान्ट द्वारा इस आशय का शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि उसने कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा । इसका सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से करा लिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड दिया है वर्तमान में कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर
(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलेक्टर,धौलपुर